भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 793
24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी मुद्दे

793 **श्री अनिल कुमार यादव मंदादीः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देशभर के इस्पात संयंत्रों से संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए कोई व्यापक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी नीति तैयार करने से पूर्व विकसित देशों में प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने के लिए कोई विस्तृत अध्ययन किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (घ): देश भर में इस्पात संयंत्रों की पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल जिनमें सतत इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चुनौतियों और सर्वोत्तम पद्धतियों को समझने के लिए किया गया अध्ययन शामिल है, निम्नानुसार हैं :-

(i) इस्पात मंत्रालय ने कम उत्सर्जन वाले इस्पात को परिभाषित और वर्गीकृत करने के लिए ग्रीन स्टील के लिए वर्गीकरण जारी किया है।

(ii) इस्पात मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्यबलों की सिफारिशों के आधार पर ''ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप और एक्शन प्लान'' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो वर्ष 2070 तक निवल-शून्य लक्ष्य की दिशा में ग्रीन स्टील और संधारणीयता के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। यह रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(iii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग हेतु पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चार पायलट परियोजनाएं प्रदान की गई हैं।

जारी.....2/-

(iv) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2010 में शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।

(v) विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय कार्बन बाजार को विनियमित करने के लिए दिनांक 28.06.2023 को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) को अधिसूचित किया है, जो इस्पात संयंत्रों पर भी लागू होती है।

(vi) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रभाव को विनियमित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 जारी किए हैं, जो इस्पात संयंत्रों पर भी लागू होते हैं।

*****